

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)
(दिनांक 28 जुलाई, 2020)

आम सूचना

राज्य शासन के द्वारा जारी गाईड लाईन के परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिनांक 29 जुलाई, 2020 तक प्रतिबंध लगाया गया था। अतः उक्त प्रतिबंधित अवधि की समय सीमा में वृद्धि करते हुए दुर्ग जिले में दिनांक 30 जुलाई से दिनांक 6 अगस्त, 2020 की मध्य रात्रि तक निम्नलिखित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है।

प्रतिबंधित क्षेत्र-

अनु.क्र.	नगरीय निकाय का नाम	निकाय सीमा से लगी प्रभावित ग्राम पंचायत/स्वतंत्र ग्राम पंचायत
1.	नगर पालिक निगम, दुर्ग	हनोदा, धनोरा, मोहलई, चिखली, कोलिहापुरी, अंजोरा (ख) खपरी (कु), महमरा, कुटेलाभांठा, सिरसाखुर्द, जेवरा, चंदखुरी, विनायकपुर, खुरसुल
2.	नगर पालिक निगम, भिलाई	खेदामरा, कचान्दुर
3.	नगर पालिक निगम, रिसाली	डूमरडीह, उमरपोटी
4.	नगर पालिक निगम, भिलाई चरोदा	औंधी
5.	नगर पालिका, जामुल	ढौर
6.	नगर पंचायत, पाटन	अमलेश्वर, सांकरा, भरर
7.	नगर पालिका, कुम्हारी	पंचदेवरी, अकोला
8.	नगर पालिका, अहिवारा	
9.	नगर पंचायत, उत्तई	
10.	नगर पंचायत, धमधा	बोरी, करेली, पोटिया, दनिया

अनुमति प्राप्त दुकानें-

- स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं आपातकालीन सेवायें संचालित रहेंगी।
- दवा/मेडिकल/चश्मा की दुकानें- समय प्रातः 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
- सब्जी व्यवसाय, दूध, मांस, चिकन, मटन, मछली, अण्डा- समय प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक
- उक्त लॉक डाउन अवधि के दौरान केवल दो दिवस- दिनांक 29 एवं 30 जुलाई, 2020 के लिये किराना दुकानें प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक खुली रहेंगी तथा उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्योहार में उपयोग आने वाले सामग्री का विक्रय स्टाल लगाकर किया जा सकेगा।
- जुलाई, 2020 माह का शेष वितरण हेतु पीडीएस शॉप केवल 29 एवं 30 जुलाई, 2020 तक प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 बजे तक संचालित रहेंगी।
- घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक एवं सांय 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक एवं न्येज पेपर हॉकर प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

7. पेट्रोल, डीजल पम्प, एल.पी.जी, सीन.एन.जी. गैस- प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी ।
8. शासकीय/अशासकीय बैंकों को दोपहर 3:00 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी ।
9. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
10. धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य
11. कृषि उपकरण, फर्टीलाइज़र, पेट शॉप, एक्यूरियम शॉप की दुकानें प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 10:00 बजे तक संचालित रहेंगी ।
12. होटल/रेस्टोरेंट को ई-कॉमर्स (होम डिलिवरी) की अनुमति होगी । टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा ।

प्रतिबंधित दुकानें/व्यवसाय/सेवायें-

1. सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं इस प्रकार के स्थान ।
2. स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम ।
3. मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम हेतु सायकिलिंग ।
4. प्रतिबंधित नगरीय/ग्राम पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं। अत्यावश्यक सेवा वाली वाहन फुड, मेडिकल, पोस्टल सेवायें आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी ।
5. समस्त नगरीय निकाय एवं उनसे लगी प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें, (किराना दुकानें -केवल 29 एवं 30 जुलाई, 2020 को प्रातः 6:00 से प्रातः 10:00 बजे तक को छोड़कर) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे आदि
6. सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम ।
7. प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानें
8. केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।

कन्ट्रोल रूम-

- | | |
|--|--|
| 9. कार्यालय कलेक्टर, जिला कार्यालय, दुर्ग | 0788-2323492 (प्रातः 10:30 से 5:30 बजे तक) |
| 10. जिला अस्पताल, दुर्ग | 0788-2320104 (24 घंटे उपलब्ध) |
| 11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, दुर्ग | 0788-2210773 (24 घंटे उपलब्ध) |
| 12. अन्य इमरजेंसी सेवाएँ | 108, 112 (24 घंटे उपलब्ध) |

(डॉ० सर्वश्वर नरेन्द्र भुरे)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

दुर्ग